

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद-देहारादून में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषण सं० 105/2017 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी-मिस्सरवाला-लच्छिवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फूटपाथ के निर्माण हेतु 3.600 है० वन भूमि का लो० नि० वि० को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि अतिक्रमण मुक्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तारबाड़ लगाने के लिए वन विभाग द्वारा जो भी धनराशि मांगी जायेगी लो०नि०वि० द्वारा उक्त धनराशि को जमा करा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि०वि०
ऋषिकेश